



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 जून, 2026

ज्येष्ठ 20, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 818/81-2-2026

लखनऊ, 10 जून, 2026

अधिसूचना

प0आ0-419

अधिसूचना संख्या 170/81-2-2025, दिनांक 9 मई, 2025 द्वारा गठित परामर्श समिति के परामर्श के दृष्टिगत प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ० प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-प0शा० 149/16-4 (तेन्दूपत्ता) दिनांक 30 मार्च, 2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री राज्यपाल 01 जनवरी, 2025 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से जब तक इन्हें संशोधित न कर दिया जाय, राज्य सरकार के वन, ग्राम सभा तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि से एकत्र किये जाने वाले तेन्दूपत्ते के संग्रहण कर व्यय, जो पत्ते संग्रहण करने वाले व्यक्तियों को देय होगा, समस्त इकाइयों के लिये 2,196.00 (रूपया दो हजार एक सौ छियानबे मात्र) प्रति मानक बोरा तथा निजी उत्पादकों से तेन्दूपत्ता क्रय की दर रू० 2,208.00 (रूपया दो हजार दो सौ आठ मात्र) प्रति मानक बोरा एतद्वारा निर्धारित करते हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।